न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 24/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. उदाराम पुत्र श्री सांवलराम 2. चैनाराम पुत्र श्री धोकलराम जातियान कुम्हार निवासीगण पटेलनगर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. मांगीलाल पुत्र किसनाराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा 3. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा हरियाढाणा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री अ"ाोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं.1 सरकारी पैरोकार ।
अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित।

:: आदेश :: दिनांक

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खोजा नगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2850 रकबा 2.1277 हैक्टयर (13.03 बीघा) किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नम्बर 2851 रकबा 2.1439 हैक्टयर (13.05 बीघा) किस्म बारानी चतुर्थ व खसरा नम्बर 2852 रकबा 1.1002 हैक्टयर (6.16 बीघा) किस्म बारानी तृतीय व ग्राम पटेल नगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1914 रकबा 2. 1277 हैक्टयर (13.03 बीघा) किस्म बारानी ए आई हुई है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी उदाराम पिता सावल व प्रार्थी चैनाराम के पिता धोकल व अप्रार्थी सं. 2 मांगीलाल की व अन्य की संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी उदाराम पिता सांवल व चैनाराम के पिता धोकल का 1/3 हिस्सा है जो जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 में स्पष्ट उल्लेख है जिसमें धोकल पुत्र श्री भीया व उदा पुत्र सावल व मांगीलाल पुत्र किसना का नाम दर्ज है। इसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है एवं [illegible] करते है। तथा फसल की बुवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

करते है। वजह सबूत जमाबन्दी संवत 2028 से 2032 तक की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पे”ा है। ग्राम खोजा नगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2850,2851,2852 व ग्राम पटेलनगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1914 की कृषि भूमि की जमाबन्दी संवत 2028 से 2032 तक में प्रार्थी सं. 1 उदा स्वयं का एवं प्रार्थी सं. 2 चैनाराम के पिता धोकल का नाम दर्ज था इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 तक बनाते वक्त ग्राम खोजा नगर के खसरा नम्बर 2850, 2851, 2852 व ग्राम पटेल नगर के खसरा नम्बर 1914 की भूमि में प्रार्थी 1/3 हिस्सेदार अप्रार्थी सं. 2 मांगीलाल पुत्र श्री किसना के साथ साथ धोकल पुत्र भीया व उदा पुत्र सावल का नाम दर्ज होते हुए भी भूल से जमाबन्दी खतौनी करते समय सेवन से हटा दिया गया है तथा 1/3 हिस्से मात्र अप्रार्थी सं. 2 का ही कायम कर दिया है जबकि मौके पर 1/3 हिस्से की भूमि पर धोकल पत्र भीया व उदा पुत्र सावल काबिज है इस प्रकार ग्राम खोजा नगर के खसरान की भूमि 2850, 2851, 2852 व ग्राम पटेल नगर में स्थित भूमि खसरा 1914 में शुरू से ही 1/3 हिस्से के खातेदार धोकल पुत्र भीया, सावल पुत्र उदा व मांगीलाल पुत्र किसना है तथा 1/3 हिस्से की भूमि में तीनों के वारिसान काबिज है एवं वर्तमान में का”त कर रहे है मगर संवत 2033से 2036 तक जमाबन्दी खेवट खतौनी करते समय सेवन से उदा पुत्र सावल व धोकल पुत्र भीया पीछे छूट गया है जिनका प्रार्थीगण शुद्धिकरण/सं”ाोधन करवाना चाहत है इस हेतु प्रार्थीगणों ने अप्रार्थी सं. 1 को एक प्रार्थना पत्र भी रेकर्ड में शुद्धिकरण एवं सं”ाोधन हेतु पे”ा किया मगर अप्रार्थी सं. 1 ने इन्कार कर दिया । अतः यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पे”ा है। ग्राम खोजा नगर के खसरा नम्बर 2850, 2851, 2852 व ग्राम पटेल नगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1914 में सह खातेदार के रूप में हेमाराम, भैराराम, पोकरराम, चन्द्राराम, शंकरराम पिसरान रावतराम का 1/3 हिस्सा है तथा लच्छा पुत्र गोमाराम का 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 का है मगर अन्य सह खातेदारों के हिस्से को प्रार्थीगणों ने चैलेन्ज नहीं किया है तथा न ही उनके खिलाफ कोई रिलिफ ही चाही है तथा उनके हक हिस्से को चैलेन्ज किया जा रहा है इस कारण सह खातेदारों को पक्षकार अप्रार्थीगण नही बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के सह खातेदार का”तकार होने के कारण उक्त खसरान 2850, 2851, 2852 व 1914 की भूमि में 1/3 हिस्से में मांगीलाल पुत्र किसना के साथ साथ प्रार्थीगण का नाम भी सह खातेदार के रूप में मौके पर कब्जा का”त अनुसार जोडा जावे। प्रार्थीगण के दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 तक एवं जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 तक की तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक की प्रमाणित प्रति वास्ते सबूत पे”ा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पे”ा कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में वर्णित ग्राम खोजा नगर तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2850, 2851, 2852 व ग्राम पटेल नगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1914 की भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी सं. 1 के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा त्रुटिवं”ा मांगीलाल पुत्र किसना का 1/3 हिस्सा को गलत दर्ज किये गये त्रुटि को दूरस्त कर धोकल पुत्र श्री भीया, उदा पुत्र सावल व मांगीलाल पुत्र किसना के नाम 1/3 हिस्से के खातेदार का”तकार र[illegible] रेकर्ड में [illegible] करने का आदे”ा अप्रार्थी सं. 2 को जारी फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 2 को उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर 07.04.2021 को बार बार रूक रूककर आवाज दिलवाई गयी फिर भी अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आव"यकता नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पेश किया जो जवाब इस आधार का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम पटेलनगर के मूल निवासी है। उनके नाम की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खोजानगर के ख. नं. 2850 रकबा 2.1277 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2851 रकबा 2.1439 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2852 रकबा 1.1002 हैक्टयर व ग्राम पटेलनगर के खसरा नम्बर 1914 रकबा 2.1277 हैक्टयर आई हुई है। जमाबन्दी चौसला 2029 से 2032 ग्राम हरियाढाणा के खसरा नम्बर 1914 रकबा 13/3 बीघा में प्रविष्टि धोकल पुत्र भीया, उदा पुत्र सावल, मांगीलाल पुत्र किसना 1/3 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 2850, 2851, 2852 में भी यही प्रविष्टि दर्ज है। जमाबन्दी चौसला 2033 से 2036 तैयार करते समय खसरा नम्बर 1914 रकबा 13/3 व खसरा नम्बर 2850 रकबा 13/3 बीघा, 2851 रकबा 13/3 बीघा में धोकल पुत्र भीया, उदा पुत्र सावल का नाम जमाबन्दी में दर्ज होने से शेष रह गया। तथा 1/3 हिस्सा में मांगीलाल पुत्र किसना 1/3 ही दर्ज हुआ है, जो गलत प्रविष्टि है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खोजा नगर के खसरा नम्बर 2850, 2851 व 2852 व ग्राम पटेल नगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1914 की भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज मांगीलाल पुत्र किसना 1/3 हिस्सा जो गलत दर्ज किया गया है जिसे दुरस्त किया जाकर धोकल पुत्र भीया, उदा पुत्र सावल व मांगीलाल पुत्र किसना 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम हरियाढाणा की जमाबन्दी 2029 से 2032 के खाता सं. 673 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 के खाता सं. 855 की प्रतिलिपि, ग्राम खोजानगर की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता सं. 162 की प्रतिलिपि, ग्राम पटेलनगर की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता सं. 396 की प्रतिलिपि आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि ग्राम खोजानगर के ख. नं. 2850 रकबा 2.1277 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2851 रकबा 2.1439 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2852 रकबा 1.1002 हैक्टयर व ग्राम पटेलनगर के खसरा नम्बर 1914 रकबा 2.1277 हैक्टयर की भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज मांगीलाल पुत्र किसना 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा जो गलत दर्ज किया गया है जिसे दुरस्त करना न्याय हित आव”यक प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम खोजानगर के ख. नं. 2850 रकबा 2.1277 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2851 रकबा 2.1439 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2852 रकबा 1.1002 हैक्टयर व ग्राम पटेलनगर के खसरा नम्बर 1914 रकबा 2.1277 हैक्टयर क राजस्व रेकर्ड में धोकल पुत्र भीया 1/9 हिस्सा, उदा पुत्र सावल 1/9 हिस्सा व मांगीलाल पुत्र किसना 1/9 हिस्से के खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदे”ा आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested